भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2362

18.12.2023 को उत्तर के लिए

हिंसक जानवरों का हमला

2362. श्री एन. रेड्डप्प :
श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':
श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक जानवरों की सूची क्या है;

(ख) ऐसे जानवरों द्वारा फसलों और मनुष्यों को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा देने का प्रावधान क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार दिया गया मुआवजा कितना है;

(घ) हाथियों सहित जंगली जानवरों द्वारा मनुष्यों और फसलों के साथ-साथ संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने के साथ-साथ सरकार द्वारा जंगली जानवरों के सरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या संरक्षण प्रथाओं में जलवायु की व्यापक समझ से संघर्ष के पैटर्न स्थापित करने और मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी; और

(च) यदि हां, तो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और निजी स्वामित्व वाले वनों में एकल संघर्ष-शमन कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): जंगली जानवरों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-। और अनुसूची-।। में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनसे यह सूचना मिलती है कि राज्यों में ब्लू बुल, जंगली सुअर, हाथियों आदि जैसे जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अधिनियम की धारा 11 में मुख्य वन्यजीव वार्डन को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे जंगली जानवर, जो मनुष्यों के जीवन और संपत्ति (खड़ी फसलों सहित) के लिए खतरनाक हो गया है, का शिकार करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(ख) से (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण घायल होने की घटनाओं सहित मनुष्यों के मारे जाने तथा पशुधन और फसलों को नुकसान पहुंचने के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान मानदंडों के अनुसार किया जाता है जो भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। ऐसे मामलों में अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों के दौरान बाघों के हमले के कारण मारे गए लोगों के मामलों में भुगतान की गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने हेतु दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है।

ii. मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के संबंध में दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

iii. केन्द्रीय सरकार देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों-'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों के तहत, फसल लगे खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु समर्थित कार्यकलापों में कांटेदार तार का बेड़ा, सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, कैक्टस का रोपण करके जैविक-बाड़, बाउंडरी वॉल आदि जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण/सृजन शामिल है, जिसमें जंगली जानवरों द्वारा उपद्रव के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान सम्मिलित है।

iv. मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.03.2023 को मानव-हाथी, मानव-गौर, मानव-तेंदुआ, मानव-सर्प, मानव-मगरमच्छ, मानव-रिसस मकॉक, मानव-जंगली सुअर, मानव-भालू, मानव-ब्लू बुल और मानव-काला हिरण संघर्ष के उपशमन के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ-साथ भारत में वन और मीडिया सेक्टर के बीच सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन के संदर्भ में पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा; मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित स्थितियों में भीड़ का प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

v. भारत सरकार द्वारा मानव-बाघ/मानव-तेंदुआ/मानव-हाथी संघर्ष का प्रबंधन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

vi. जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने हेतु, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों नामत: राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

vii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। अधिनियम में ऐसे उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने के लिए भी प्रावधान है, जिसे वन्यजीव अपराध (अपराधों) को करने में प्रयोग किया गया है।

viii. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के संबंध में संबंधित राज्य और केंद्रीय ऐजेंसियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) द्वारा निवारक कार्रवाई करने हेतु चेतावनियां और परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं।

ix. स्थानीय समुदायों को पारि-विकास संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल किया गया है, जिससे वन विभागों को वन्यजीवों के संरक्षण में सहायता मिलती है।

(ड.) और (च): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य-योजना (2017-2031) जारी की गई है। इस कार्य-योजना में 'वन्यजीव आयोजना में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने' के संबंध में एक विशेष अध्याय उपलब्ध कराया गया है और वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से निपटने हेतु प्राथमिकता के आधार पर संचालित की जाने वाली परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है।

*****

अनुबंध-I

'हिंसक जानवरों का हमला' के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2362 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाघों के हमले के कारण मारे गए लोगों के मामलों में अनुग्रह राशि के भुगतान का ब्यौरा

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00
4	बिहार	5.00	30.00
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00
6	झारखंड	0.00	0.00
7	कर्नाटक	7.50	7.50
8	केरल	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	4.00
10	महाराष्ट्र	420.00	1395.00
11	मिजोरम	0.00	0.00
12	ओडिशा	0.00	0.00
13	राजस्थान	0.00	0.00
14	तमिलनाडु	12.00	0.00
15	तेलंगाना	0.00	0.00
16	उत्तर प्रदेश	43.00	34.00
17	उत्तराखंड	4.00	4.00
18	पश्चिम बंगाल	16.00	4.00
	कुल	**507.50**	**1478.50**

*****